

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

12/12/19

प्राथमिकी प्रेषित हुई। वादी की कोर्ट से श्री मनीष कुमार सेड. ने U.T. प्रेषित की। (प्रतिवादी सं. 2 की कोर्ट से श्री रणवीर शर्मा सेड. ने वकील मन्मथ प्रसाद सिंह को वादी उपाय व बीडा प्रकृति वसुधाकाशिका व श्री श्री श्री कोर्ट से वादी की कोर्ट पर प्रेषित सिमांक 9.1.20 को प्रेषित है।

वादी की कोर्ट से U.T. प्रेषित है।
12.12.19

9/20 वकूलाय फरीकन/वादा/उपस्थित पाठाना ने कार्य स्थगन किया हुआ है। मुकदमा नं. 19.3.20 को पेश होवे।

[Signature]

19/20 वकूलाय फरीकन उपस्थित अधिकृत मन्मथ ने कार्य स्थगन किया हुआ है। मुकदमा नं. 19.3.20 को पेश होवे।

4/20 वकूलाय फरीकन उपस्थित अधिकृत मन्मथ ने कार्य स्थगन किया हुआ है। मुकदमा नं. 23.7.20 को पेश होवे।

23/20 वकूलाय फरीकन उपस्थित अधिकृत मन्मथ ने कार्य स्थगन किया हुआ है। मुकदमा नं. 27.9.20 को पेश होवे।

29/20 वकूलाय फरीकन उपस्थित अधिकृत मन्मथ ने कार्य स्थगन किया हुआ है। मुकदमा नं. 1.12.20 को पेश होवे।

20/20 वादी को प्रेषित है। पर फावली प्रेषित हुई। प्रतिवादी ने प्रेषित पर प्रेषित कर लिखित किया कि वह अपूर्ण है। कोर्ट को प्रेषित करवाया जाये। वादी को प्रेषित पर स्विकार किया जाकर अपूर्ण फावली लिखा गया। प्रतिवादी को प्रेषित करवाया जाये। ने को। प्रतिवादी अपूर्ण वाद इलाको मन्मथ मन्मथ मन्मथ वाद स्थगित किया जाये। फावली प्रेषित

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

नि. म
होमी
Kaly
[Signature]

होमी
[Fingerprint]

